न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 41/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 22.10.2018
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

हर्षवर्धन सिंह आत्मज मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा–राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रमाकांत लोहिया अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 3.6.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) ने अपीलार्थी जावेद खान द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबध मे पारित आदेश कमांक/न्याय/2017/6137 दिनांक 18.10.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अपने पिता की मृत्यु हो जाने से उनको जारी लाईसेन्स सं0 717/बीएल/एसडीएम/कोटा मे दर्ज एक 12 बोर बन्दूक सं0 5938 को उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण की रिपोर्ट अनुसार "आवेदक को किसी प्रकार का खतरा नही होने के कारण 12 बोर गन को आर्म्स लाईसेन्स दिये जाने की अनुशंषा नही की जाने से शस्त्र अनुज्ञापत्र आवेदन पत्र आदेश कमांक/न्याय/2017/6137 दिनांक 18.10.2017 से निरस्त कर आवेदक को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा मे आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील इस आशय की पेश की गई कि अपीलार्थी द्वारा पिता की मृत्यु उपरांत उक्त गन को थाना खातोली मे दिनांक 30.1.2016 को जमा करवा दिया तथा तत्पश्चात अपने नाम बन्दूक का लाईसेन्स जारी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन करने पर सभी वांछित रिपोर्ट मंगवाई गई परन्तु अपीलांट को लाईसेन्स जारी नही कर आवेदन पत्र को जेरअपील आदेश से निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है क्योंकि अपीलांट के पिता की आराजी 25 बीघा ग्राम लाखनी मे है जो उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज हुई है। जिस पर काश्त करने के लिए कई बार रात मे भी जाना पडता है उक्त ऐरिया रेवाइन्स ऐरिया है जहां पर काफी जंगली जानवर घूमते रहते है। अतः आत्मरक्षार्थ लाईसेन्स की आवश्कता रहती है। आर्म्स एक्ट मे इस आधार पर आर्म्स का लाईसेन्स रिफयूज करने का कोई आधार नही है अपीलांट के खिलाफ किसी भी तरह का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है और ना ही उससे समाज व किसी व्यक्ति को कोई जान का खतरा है ऐसी स्थिति मे नियमानुसार अपीलांट के पक्ष मे आर्म्स लाईसेन्स जारी करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना आवेदन पत्र निरस्त करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेर अपील आदेश दिनांक 18.10.2017 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के नाम 12 बोर 2 नाली बन्दूक का लाईसेन्स जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे दिनांक 20.5.2019 को बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अपीलार्थी द्वारा अपने पिता की मृत्यु हो जाने से उनको जारी लाईसेन्स दर्ज एक 12 बोर बन्दूक जो वर्तमान मे थाना खातोली मे जमा है

संभागीय आयुक्त

को उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन पत्र के संबध मे पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा आवेदक को किसी प्रकार का खतरा नही होने के कारण 12 बोर गन का आर्म्स लाईसेन्स दिये जाने की अनुशंषा नही की जाने से आवेदन पत्र को जेरअपील आदेश से निरस्त करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। बहस मे बताया कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट आधारहीन है। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है ना ही अपीलांट का चरित्र आपराधिक प्रवृति का रहा है। पिता की मृत्यु हो जाने से उनके लाईसेन्स मे दर्ज शस्त्र को उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करवाकर 12 बोर गन को अपने नाम दर्ज कराने का अपीलांट अधिकारी है क्योंकि अपीलांट को कृषि कार्य हेतु ग्राम लाखनी मे स्थित खातेदारी की भूमि पर काश्त करने के लिए कई बार रात मे भी जाना पडता है उक्त ऐरिया रेवाइन्स ऐरिया है जहां पर काफी जंगली जानवर घूमते रहते है। अतः आत्मरक्षार्थ लाईसेन्स की आवश्कता रहती है। आर्म्स एक्ट मे इस आधार पर आर्म्स का लाईसेन्स रिफयूज करने का कोई आधार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का समुचित अवलोकन नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर जेरअपील आदेश अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी के पक्ष मे उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर गन लाईसेन्स जारी किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कोटा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदक को किसी प्रकार खतरा नहीं होने के कारण 12 बोर गन का आर्म्स लाईसेन्स दिये जाने की अनुशंषा नही की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र जेरअपील आदेश से निरस्त किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने पिता को जारी लाईसेन्स मे दर्ज 12 बोर दो नाली बन्दूक का उत्तराधिकार अवधारणा के तहत अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 2.5.2016 को अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कोटा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार "आवेदक को किसी प्रकार खतरा नहीं होने के कारण 12 बोर गन का आर्म्स लाईसेन्स दिये जाने की अनुशंषा नही की जाने पर" आवेदन पत्र को जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2017/6137 दिनांक 18.10.2017 से निरस्त किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा अपने पिता की मृत्यु हो जाने से उनको जारी लाईसेन्स मे दर्ज एक 12 बोर बन्दूक जो वर्तमान मे थाना खातोली मे जमा है, को उत्तराधिकार की अवधारणा के तहत शस्त्र अनुज्ञापत्र प्राप्त कर अपने नाम दर्ज करने का अधिकारी है। क्योंकि उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है अतः पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की रिपोर्ट आधारहीन है। कृषि कार्य हेतु उसको आराजी पर आना जाना पडता है जहां जगंली जानवरों से आत्मरक्षार्थ लाईसेन्स की आवश्यकता रहती है। अपीलांट के तर्क के संदर्भ मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि कार्यालय टिप्पणी के पैरा 7 मे जिला कलक्टर एवं जिला मजि0 कोटा द्वारा उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर लाईसेन्स ट्रांसफर करने के संदर्भ मे नियम एवं चर्चा का उल्लेख किया गया है, किन्तु निरस्तीकरण आदेश मे नियमो का उल्लेख नही किया गया है। अपीलांट द्वारा उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर पिता की मृत्यु उपरांत उनके लाईसेन्स मे दर्ज 12 बोर गन को वर्तमान मे थाना खातोली मे जमा है को अपने नाम दर्ज कराने हेतु शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने बावत आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को उत्तराधिकार की अवधारणा के प्रावधानों एवं शस्त्र अनुज्ञपत्र की सद्भाविक आवश्यकता के संबध मे जांच उपरांत विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक आदेश पारित करना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आलौच्य आदेश मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है, ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक/न्याय/2017/ 6137 दिनांक 18.10.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ मे उत्तराधिकार की अवधारणा के प्रावधानों एवं शस्त्र अनुज्ञापत्र की सद्भाविक आवश्यकता के संबध मे जांच कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक आदेश पारित करें।

6 निर्णय आज दिनांक 3.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा